न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम
(सुश्री सुमन सोनल आर0ए0एस0 पीठासीन अधिकारी)

प्रकरण सं. – 10/2010 अ0ना0

निर्णय दिनांक – 08.07.2019

1. श्री भानसिंह उर्फ भगवानसिंह पिता श्री खेतसिंह जाति रावत निवासी पावटिया बाड़िया कांटी चौड़ा तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज.)
2. श्री हुकुमसिंह पिता श्री खेतसिंह जाति रावत निवासी पावटिया बाड़िया कांटी चौड़ा तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज.)
3. श्री हीरासिंह पिता श्री खेतसिंह जाति रावत निवासी पावटिया बाड़िया कांटी चौड़ा तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज.)
4. श्रीमति हंजाबाई पुत्री श्री खेतसिंह जाति रावत निवासी पावटिया बाड़िया कांटी चौड़ा तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज.)

....अपीलान्टस

विरूद्ध

1. गिरधारीसिंह पिता श्री खेतसिंह जाति रावत निवासी पावटिया बाड़िया कांटी चौड़ा तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज.)
2. श्रीजीवनसिंह पिता श्री भैरूसिंह जाति रावत निवासी पावटिया बाड़िया कांटी चौड़ा तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज.)
3. श्रीमति धापू पत्नी श्री भैरूसिंह जाति रावत निवासी पावटिया बाड़िया कांटी चौड़ा तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज.)
4. श्रीमति कमला पुत्री श्री वरदसिंह जाति रावत निवासी पावटिया बाड़िया कांटी चौड़ा तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोडेन्ट

<u>अपील विरूद्ध स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 478 दिनांक 20.06.2003 ग्राम पंचायत कुकरखेड़ा</u>

अपीलान्टस ग्राम पंचायत कुकरखेड़ा द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 478 की प्रमाणित प्रतिलिपि इसके साथ पेश कर उज्रात अपील निम्नलिखित निवेदन करते है कि ग्राम पंचायत कुकरखेड़ा ने अपीलानटस की बेजानकारी में अपीलानटस की भूमि का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा रेस्पोडेनट संख्या 2 व 3 के पिता पक्षमें अनाधिकार व मिथ्या बिक्री पत्र निश्पादित करवा कर पंजीयन करवा दिया गया था तथा ग्राम पंचायत कुकरखेड़ा द्वारा पंजीयन के लगीाग 36 वर्श बाद बिना किसी ग्राम पंचायत की बैठक व बिना कोरम के तथा बिना अपीलानटस को सूचित किये तथा बिना कब्जे की जांच किए जबकि भूमि अपीलान्टस के खातेदारी व कब्जे की है बिना कोई विधिवत प्रक्रिया अपनाए सर्वथा गलत व कानूनो तथा नियमों के विपरीत नामान्तरकरण खोल कर स्वीकृत करने की भारी भूल कह है ग्राम पंचायत भीम द्वारा दिया गया तथाकथित आदेश ही न्याय विधि व कानून के सर्व विपरीत है व अनाधिकार पूर्वक न्यलिटि है व वोइड एब इनिशियों है। रेस्पोण्डेन्ट संख्या 1 द्वारा आराजी नं 583 रकबा 9 बिस्वा 10 बिस्वासी का 1/2 को अनाधिकार रूप से रेस्पाडेनट संख्या 2 व 3 के पिता के पक्ष में सर्वथा गलत व अनाधिकार बिक्रीपत्र निश्पादित करवा दिया गया जबकि भूमि अपीलान्टस के ही खातेदारी व कब्जे की थी तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उसे बेचने का कोई हक व अधिकार नही था बय नामा ही सर्वथा गलत अनाधिकार व अवैध है तथा कानून वोईड है। बिक्री पत्र निश्पादन के समय अपीलान्टस नाबालिग थे तथा अपनी माता के संरक्षण में थे जो बिक्रीपत्र निष्पादन के समय जिवित थी रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ने बिना अपीलान्टस की जानकारी व स्वीकृति के आराजी नं. 583 रकबा 9 बिस्वा 10 बिस्वासी का 1/2 का अनाधिकार रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पिताके पक्षमें सर्वथा गलत व अनाधिकार बिक्रीपत्र निश्पादित करवा दिया गया जिसकी अपीलान्टस को कोई जानकारी कभी हुई ही नही तथा अपीलान्टस का उक्त भूमि पर लगातार निर्बाध स्वामित्व व कब्जा चलता रहा किन्तु दिनांक 11.03.2010 को रेस्पोडेनट संख्या 2 व 3 अपीलान्टस की उक्त भूमि पर आए तथा अपीलान्टस को कहने लगे कि यह भूमि हमारी है हमने खरीद रखी है तुम लोग इसका कब्जा हमको दो तो अपीलानटस द्वारा भीम तहसील में आकर नकले निकलवाई तब अपीलान्टस को इस अवैध व अनाधिकार बिक्री पत्र व नामान्तरकरण का पता चला तथा अपीलान्टस यह अपील पेश कर रहे है अपीलान्टस संख्या 1 लगायत 4 श्री खेतसिंह के पुत्र व पूत्रिया है रेस्पोडेन्ट संख्या 4 श्री खेतसिंह के पुत्र विरदसिह की पुत्री है जिसका भी भूमि में हिस्सा है किन्तु वह बाहर रहती है तथा अपील में एक्टीव रोल नही कर पाने के कारण उसे प्रोफोर्मा रेस्पोण्डेन्ट बनाया गया है तथा रेस्पोण्डेनट संख्या 1 खेतसिह का पुत्र है अतः निवेदन है किनामान्तरकरण अपीलान्ट के परोक्ष व बेजानकारी में स्वीकार किया गया है जिसका पता ही दिनांक 12.03.2010 को चला तथा पता चलते ही नकल प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र लगा दिया जो दिपांक 15.03.2010 को मिली है जिसके मिलते ही अपील अन्दर मियाद पेश है श्रीमान से प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ण्टस स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण निरस्त फरमाया जावे।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द

अतः अपील अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई। बहस का अवलोकन किया गया। क्योकि प्रकरण हकहकूक एवं पंजीकृत विक्रय पत्र से खरीदी गई भूमि 12 वर्ष तक कब्जा प्राप्त नहीं करने पर पंजीकृत दस्तावेज स्वतः ही शून्य हो जाता है। प्रकरण में 36 वर्ष बाद बिना कब्जे की जांच किये नामान्तरण खोला गया है। जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 478 दिनांक 20.06.2003 ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण निरस्त किये जाने के आदेश दिये जाकर खाते में रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 व 3 का नाम दर्ज किया गया है उसे हटाया जाकर अपीलान्ट के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना में तहसीलदार भीम को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय सुनाया गया।

पीठासीन अधिकारी
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द